संख्या–289 /VI-2/2011–10(7)2008

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 30 मार्च, 2011

विषयः– जौनसारी लोक संस्कृति का दस्तावेजीकरण तथा प्रचार–प्रसार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2763/सं0नि0उ0/तृतीय–76/2010–11 दिनांक 8 मार्च, 2011 तथा शासनादेश संख्या–242/VI-I/2010– 10(7)2008 दिनांक 24 फरवरी, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जौनसारी लोक संस्कृति का दस्तावेजीकरण तथा प्रचार–प्रसार हेतु "जनजातीय कला एवं संस्कृति का अभिलेखन, संरक्षण तथा उन्नयन हेतु योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में उक्त शासनादेश के पैरा 06 के अनुसार स्वीकृत धनराशि ₹ 2.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 60 प्रतिशत ₹1,20,000–00 (₹ एक लाख बीस हजार) मात्र के भुगतान के कम में वर्ष 2010–11 में द्वितीय किस्त के रूप में ₹80,000–00 (₹ अस्सी हजार मात्र) की धनराशि निम्नानुसार व्यय किये जाने पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) दस्तावेजीकरण से पूर्व पटकथा एवं सामग्री का प्रामाणिक होने का स्पष्ट प्रमाण सहित प्रथमतः संस्कृति निदेशालय में जमा किया जाये, तथा निदेशालय द्वारा परीक्षणोपरान्त स्वीकृति मिलने/संस्तुति मिलने के उपरान्त ही धनराशि स्वीकृत किया जाय।

(2) अनुदान की अधिकतम धनराशि क्षेत्र विकास के भ्रमण एवं सामग्री के संग्रह में व्यय की जायेगी तथा अनावश्यक व्यय को हतोत्साहित किया जायेगा।

(3) यदि दस्तावेजीकरण का कार्य संस्था (गैर सरकारी) द्वारा किया जा रहा है तो उसका पंजीकृत होना आवश्यक होगा तथा खातों का चार्टेड एकाउण्टेन्ट से परीक्षित होना अनिवार्य होगा।

(4) दस्तावेजीकरण मे पूर्णता/प्रमाणिकता/शुद्धता एवं मूल स्वरूप को पूर्ण रूप से संरक्षित करते हुए अश्लीलता एवं अप्रमाणिक तथ्यों के प्रवेश को कठोरता से रोका जायेगा।

(5) दस्तावेजीकरण का कार्य एक संस्था से कराये जाने के उपरान्त उसी विषय पर अन्य संस्था को अनुदान नहीं दिया जायेगा। अतः विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस भी विषय पर दस्तावेजीकरण का कार्य आरम्भ किया जाय वह अपने आप में पूर्ण हो, तथा कोई महत्वपूर्ण तथा सुसंगत तथ्य छूटने न पाय।

(6) निर्मित सामग्री का सर्वाधिकार संस्कृति विभाग के पास सुरक्षित होगा।

(7) लोक संस्कृति के दस्तावेजीकरण के प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया

.....(2)

NIC सं० आर

जाय कि प्रस्ताव में लोक संस्कृति के सभी पहलुओं का ऐट–ए–ग्लास पूर्णता: में परिचय हो रहा है, ताकि संस्कृति के दस्तावेज को कहीं पर भी प्रमाणिकता एवं पूर्णता के साथ दिखाया जा सके।

(8) आयोजन शासनादेश संख्या–293/VI-I/2008–10(7)/2008 दिनांक 24 नवम्बर, 2008 की शर्तो के अनुरूप होने की पुष्टि कर ली जाय।

(9) दस्तावेजीकरण के अन्तर्गत सम्बन्धित लोक संस्कृति के रहन–सहन, खान–पान, वेशभूषा, लोक नृत्य, संगीत, त्योहार आदि सभी पहलुओं का समग्र रूप से समावेश किया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुदान संख्या–31 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–02–जनजातीय कला एवं संस्कृति का अभिलेखन संरक्षण तथा उन्नयन हेतु योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त निर्देश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–1229(पी)/XXVII(3)/2011 दिनांक 30 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0रंजीत कुमार सिंन्हा)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–289/VI-2/2011–10(7)2008
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– सम्बन्धित संस्था।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

Budget 10-11